

( राजस्थान-सरकार )  
**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)**

**पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)**

**प्रकरण संख्या :- 04 / 2026**

**पंजीकरण सं. :- 2026 / 20**

**बचनवान**

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों(राज.)

(प्रार्थी)

**बनाम**

राजेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश नागर जाति धाकड़ निवासी लक्ष्मीपुरा पोस्ट मण्डोला, जिला बारों (राज.) (विक्रेता/मालिक)  
मैसर्स जय माता दी, मावा सप्लायर्स, दीनदयाल पार्क, बारों जिला बारों (राज.)

(अप्रार्थी)

**जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011**

उपस्थिति :- 1-अनुपस्थित खा.सु.अ.

(प्रार्थी)

2-श्री महेन्द्र प्रजापति अभिभाषक

(अप्रार्थी)

**निर्णय दिनांक 27.04.2026**

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्जे श्री बाबूलाल तगाया खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक दिनांक 18.10.2025 को मैसर्स जय माता दी, मावा सप्लायर्स, दीनदयाल पार्क, बारों जिला बारों (राज.) पर पहुंचा। वहाँ पर राजेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश नागर जाति धाकड़ (विक्रेता/मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.10.2025 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 05.07.2024 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक खासुओनि/आयुक्त/ESTB-5173/2025/2749 दिनांक 03.10.2025 द्वारा जिला बारों का अतिरिक्त चार्ज देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन करने के लिए अनुमति प्रदान की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ **मावा लूज** 30 किग्रा डीप फ्रिज में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **मावा लूज** में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा खाद्य पदार्थ **मावा लूज** 01 किग्रा एक साफ-सूखे व स्टील बर्तन में वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत राजेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश नागर जाति धाकड़ (विक्रेता/मालिक) को 300/- रुपये (अक्षरे तीन सौ रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **मावा लूज** को स्टील बर्तन में एकरूप कर साफ-सूखी एवं खाली प्लास्टिक की शीशीयों में बराबर-बराबर भरकर प्रत्येक बोतल में फार्मेलीन की 20-20 बूंद डालकर तथा ढक्कन एयरटाइट बंद किया तथा प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-2245 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-2245 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जापत्तों में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे राजेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश नागर जाति धाकड़ (विक्रेता/मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2025/221 दिनांक 28.11.2025 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या LS/1185/PHLK/Act/2025/1185 दिनांक 03.11.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मावा लूज** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 11.03.2026 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ज रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई।

**राज. सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां** ने परिवाद में अंकित किया है कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **मावा लूज** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या LS/1185/PHLK/Act/2025/1185 दिनांक 03.11.2025 के अनुसार,खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

**अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस** प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थी को विश्लेषण रिपोर्ट दिनांक 03.11.2025 की प्रति तर्कसंगत जवाब प्रेषित करने हेतु उपलब्ध करवाने का निवेदन किया गया किंतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.4.2.6 का उल्लंघन है। जिन आधारों पर अप्रार्थी के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत करना बताया गया है, वह आधार किसी भी रूप में मान्य नहीं है। अतः अप्रार्थी के खिलाफ प्रस्तुत कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

**प्रकरण में अप्रार्थी की एकपक्षीय** अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के रजिस्टर्ड पत्रांक/एफएसएसए/2025/221 दिनांक 28.11.2025 से अप्रार्थी को विश्लेषण रिपोर्ट की प्रति भिजवा दी गई थी किंतु अप्रार्थी के द्वारा अन्य लेबोरेट्री में उक्त सेम्पल की जांच करवाए जाने हेतु आवेदन पत्र/डी.डी प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मावा लूज** खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या LS/1185/PHLK/Act/2025/1185 दिनांक 03.11.2025 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत को कुल जुर्माना राशि 20,000/- रुपये (अक्षरे बीस हजार रुपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक में निर्धारित मद **0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **27.04.2026** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( भंवर लाल जनागल )  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,  
बारां (राज.)